

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2458
15.12.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन

2458. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब के किसी जिले को जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत जलवायु-संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं और उनकी पहचान के लिए कौन-से मानदंड इस्तेमाल किए गए हैं; और
- (ग) क्या केन्द्र सरकार का राज्य के अन्य बाढ़-प्रवण जिलों को अनुकूलन निधि प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के अंतर्गत 'जलवायु भेद्यता और जोखिम आकलन' परियोजना में सहयोग किया है। इस परियोजना के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुरूप जलवायु जोखिम ढांचे का उपयोग करके पंजाब सहित देश के 698 जिलों का आकलन किया गया है। इस अध्ययन से प्राप्त रिपोर्ट में विशेष रूप से बाढ़ और सूखे के प्रति संवेदनशीलता के संदर्भ में पंजाब के कई जिलों को जलवायु-संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट ने जिलों को 'अपेक्षाकृत उच्च संवेदनशील', 'अपेक्षाकृत मध्यम संवेदनशील' और 'अपेक्षाकृत निम्न संवेदनशील' श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तरन तारण, मोगा और गुरदासपुर जिले 'अपेक्षाकृत उच्च संवेदनशील' श्रेणी में आते हैं। बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, कपूरथला, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, फाजिल्का, पटियाला, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर और एसबीएस नगर जिले 'अपेक्षाकृत मध्यम संवेदनशील' श्रेणी में आते हैं। रूपनगर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, एसएएस नगर और लुधियाना जिले 'अपेक्षाकृत निम्न संवेदनशील' श्रेणी में आते हैं। यह आकलन आईपीसीसी आधारित जोखिम ढांचे का अनुसरण करता है, जिसमें तीन मुख्य घटक और उनके संकेतक इस प्रकार हैं: -

- i. जोखिम (बाढ़ और सूखा जोखिम) - अनुमानित बाढ़ क्षेत्र, सूखा तीव्रता सूचकांक, ऐतिहासिक बाढ़ आवृत्ति, वर्षा की परिवर्तनशीलता

ii. जनसंख्या घनत्व, कृषि पर निर्भरता, निर्मित क्षेत्र

iii. संवेदनशीलता कृषि भूमि की सघनता, भूजल पर निर्भरता, सिंचाई संरचना का घनत्व।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पंजाब राज्य के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्ययोजना (एसएपीसीसी) तैयार करने में सहयोग दिया है। एसएपीसीसी में आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचनाओं की पहलों सहित शमन एवं अनुकूलन उपाय शामिल हैं, जिनमें बाढ़ प्रबंधन के उपाय, बाढ़ पूर्वानुमान परियोजना का विकास, ब्यास और सतलुज नदियों के तटबंधों को सुदृढ़ करना, चेक डैम का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं की स्थापना और राज्य द्वारा बाढ़ सुरक्षा एवं जल निकासी परियोजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है, जिसमें जमीनी स्तर पर राहत सहायता का वितरण भी शामिल है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र में पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से बाढ़ और भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
